




पत्रांक:-आर0एम0पी0यू0//033/2022

दिनांक: 22-अगस्त, 2022

कार्यालय आदेश

वित्त समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा एवं मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक: 08 अगस्त, 2022 के अनुपालन में कार्यालय आदेश सं0 आर0एम0पी0यू0/993/2022, दिनांक: 17 अगस्त, 2022 द्वारा अनुमोदित नोडल केन्द्रों के रूटों पर एक दिन में चक्कर लगाने वाले वाहन के लिए वाहन किराया दर रु0 2200/- (दो हजार दो सौ मात्र) एवं एक दिन में दो चक्कर लगाने वाले वाहनों के लिए वाहन किराया दर रु0 2600/- (दो हजार छः सौ मात्र) स्वीकार किया जाता है, इसमें नाइट चार्ज रु0 200/- (दो सौ मात्र) अतिरिक्त देय होगा।

भवदीय,


(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. वित्त अधिकारी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. समस्त सम्बन्धित प्राचार्य/नोडल प्रभारी/नोडल परीक्षा केन्द्र।
4. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु तथा सम्बन्धित महाविद्यालयों को कालेज लॉगिन पर प्रेषित किये जाने हेतु।
5. गार्ड फाईल।


सहा0 कुलसचिव